

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

परिपत्र क्र. : 07/2021

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

दिनांक : 13/10/2021

मध्य क्षेत्र के समर्त साथियों के नाम

विषय : क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ सूचना सहभागिता सत्र संपन्न

प्रिय साथियों,

दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को मध्य क्षेत्र के कर्मचारियों के विभिन्न लंबित समस्याओं पर क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ सीजेडआईईए की पूर्ण वार्ता समिति का सूचना सहभागिता सत्र संपन्न हुआ। इस चर्चा में प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रकाश चंद, आंचलिक प्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) श्री राजेश अलाहाबादी, आंचलिक प्रबंधक (का.से.) श्री एस.एन. सतपथी, मुख्य अधियंता श्री गुलशन कुमार, आंचलिक प्रबंधक (सीआरएम) श्री जी.डी. वरन्दानी, सुश्री विनीता डे (सचिव कार्मिक), श्री आर.सी. कटारिया (सहायक सचिव, कार्मिक), श्री अमित श्रीवास्तव, (सहायक सचिव कार्मिक), श्री अमोल नागले (प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस चर्चा में सीजेडआईईए की ओर से अध्यक्ष काम. एन. चक्रवर्ती व महासचिव के अलावा सीजेडआईईए की पूर्ण वार्ता समिति के सभी सचिवालयीन सदस्य उपस्थित थे। सीजेडआईईए की ओर इस चर्चा का नेतृत्व महासचिव ने किया।

सत्र के प्रारंभ में प्रबंधन की ओर से निगम के द्वारा विभिन्न मानकों में अब तक हुए प्रदर्शन तथा वर्तमान परिवेश में संस्थान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। सीजेडआईईए की ओर से महासचिव ने इस संबंध में संगठन की राय प्रस्तुत की। इसके पश्चात सीजेडआईईए ने मध्यक्षेत्र के विभिन्न मंडलों की निम्न समस्याओं की ओर प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कर इनके समाधान की मांग की। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. जमीन एवं स्वयं के भवनों की आवश्यकता-

सीजेडआईईए ने कहा कि

रायपुर : प्राप्त जानकारियों के अनुसार जिलाधीश ने इस पर सकारात्मक सहयोग किया है अतः दंतेवाड़ा में निगम द्वारा क्रय की

गई जमीन से संबंधित सस्या का समाधान अतिशीघ्र करते हुए कार्यालय भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाये। राजनांदगांव, सरायपाली, धमतरी, भिलाई-2, सीएबी भिलाई व कांकेर शाखाओं के लिए जमीन क्रय की जाये। मंडल कार्यालय भवन रायपुर की आंतरिक पुताई का कार्य अविलंब कराया जाये। भिलाई-2 शाखा भवन की पुताई का कार्य शीघ्र किया जाये। हमने पिछली चर्चा में भी जानकारी दी थी कि महासमुंद शाखा कार्यालय जो स्वयं के भवन से संचालित है जिसकी नींव के चारों ओर दादें आ चुकी हैं, साथ ही दीपमक के चलते फन्नीचर भी खराब हो चुके हैं, कार्यालय भवन के अंदर टाइल्स भी उखड़ चुके हैं जिससे फ्लोरिंग असमतल हो गया है, जिसके चलते टेबल कुर्सी सही नहीं रह पाते। अतः इन सभी समस्याओं के सुधार के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। दुर्ग शाखा में बारिश के दिनों में प्रवेश द्वार पर जल भराव की स्थिति रहती है, इसलिए उचित समतलीकरण कराया जाये। शाखा कार्यालय, राजनांदगांव के वर्तमान भवन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते बीमाधारक, अभिकर्ता व प्रशासनिक कर्मचारियों से निरंतर ट्रॉफिक पुलिस के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती है, अतः इसे अन्य भवन में स्थानांतरित किया जाये।

जबलपुर - सीहोरा, सागर-2, सीएबी सागर, कटनी-2, नरसिंगपुर, बीना एवं लखनादौन शाखा के लिए जमीन क्रय की जाये। मंडल कार्यालय में लिफ्ट की व्यवस्था की जाये। शाखा कार्यालय, बीना का भवन जर्जर स्थिति में है, अतः उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये। मंडल कार्यालय की बाहरी दीवार पर स्ट्रक्चर्ड लेजिंग एवं एसीपी पैनेलिंग का कार्य कराया जाये।

भोपाल : गंजबासौदा, शुजालपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैरागढ़, बैतूल, भोपाल शाखा क्र.4 में स्वयं के भवन हेतु जमीन क्रय की जाये। भोपाल शाखा क्र.1 की समस्याओं पर पहले भी चर्चा हुई है। अतः इसके अन्यत्र स्थानांतरण के निर्णय पर अमल किया जाये।

मंडल कार्यालय भोपाल के स्थानाभाव की समस्या के शीघ्र समाधान हेतु एक और तल के निर्माण के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाये। भोपाल शाखा क्रमांक 3 के जर्जर भवन को शीघ्र दुरुस्त कर वहां की समस्याओं का समाधान किया जाये। भेल शाखा में स्थानाभाव की समस्या के समाधान के लिए प्रथम तल पर अतिरिक्त निर्माण किया जाये।

सतना : नवनिर्मित मंडल कार्यालय भवन में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था की जाये तथा प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम एवं टॉयलेट की व्यवस्था की जाये। विदित हो कि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के सतना प्रवास के दौरानभी नवनिर्मित भवन की अन्य समस्याओं एवं कर्मचारी साख समिति हेतु उपयुक्त स्थान की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया गया था, इन समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाये। मंडल कार्यालय प्रवेश के मुख्य मार्ग के दोनों ओर के अतिक्रमण को हटाने प्रशासन के साथ उचित पहल की जाये। नवनिर्मित मंडल कार्यालय भवन से सीपेज की समस्या का समाधान किया जाये। इसमें पानी का जमाव, लिफ्ट तथा फर्नीचर की गुणवत्ता संबंधी समस्या का समाधान किया जाए। निवाड़ी, मैहर, सतना-1, सीएबी सतना एवं रीवा शाखा क्र. 2 के लिए जमीन क्रय की जाए।

बिलासपुर : शाखा इकाई रायगढ़, नैला, भाटापारा, पत्थलगांव, कोरबा-2 एवं बिलासपुर-2 के लिए जमीन क्रय की जाये।

ग्वालियर : ग्वालियर मंडल में गुना शाखा के भवन को छोड़कर अन्य सभी 09 शाखाएं किराए के भवनों में संचालित हो रही हैं अतः इन शाखाओं हेतु जमीन क्रय की जाये।

ग्वालियर : ग्वालियर मंडल में गुना शाखा के भवन को छोड़कर अन्य सभी 09 शाखाएं किराये के भवनों में संचालित हो रही हैं अतः इन शाखाओं हेतु जमीन क्रय की जाये।

इंदौर : बड़वाह, कन्नौद, सेंधवा, बड़वानी एवं रतलाम-2 हेतु जमीन क्रय किया जाये। शाखा डीएबी की लिफ्ट बदली जाये।

शहडोल : नवनिर्मित शहडोल मंडल के भवन में स्थानाभाव की समस्याएं, निम्न गुणवत्ता के फर्नीचर, ग्राउण्ड फ्लोर में एक टॉयलेट तथा पानी के जमान इत्यादि की समस्याओं का समाधान किया जाये।

- प्रबंधन ने सूचित किया कि मध्यक्षेत्र में कुल 140 शाखाओं में से 80 शाखाएं स्वयं के भवन में संचालित हैं, शेष शाखाओं के स्वयं के भवन हेतु जमीन के लिए प्रबंधन की ओर से गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रबंधन ने सूचित किया कि रायपुर, इंदौर, बिलासपुर एवं भोपाल, ग्वालियर मंडल के अनेक शाखाओं के लिए प्लॉट देखने का कार्य

जारी है। कुछ मंडलों में हाऊसिंग बोर्ड के साथ ही साथ बीएसएनएल की प्रापर्टी को भी देखा जा रहा है। प्रबंधन की ओर से यह बताया गया कि प्रत्येक मंडल के लिए 3 लोकेशन पर प्लॉट देखने का कार्य जारी है। यह भी बताया गया कि इस माह के अंत तक अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। प्रबंधन ने सूचित किया कि सीबीओ-3, भोपाल शाखा के रिनोवेशन की अनुमति केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त हो गयी है, जिसका शीघ्र काम प्रारंभ होगा। प्रबंधन ने निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में शहर के प्रमुख केन्द्र में निगम की शाखाओं की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भोपाल की शाखा क्र. 1 तथा शाखा क्र. 4 को अन्यत्र स्थानांतरित करने के सवाल पर उन दोनों शाखाओं की अन्य सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि मुख्य अभियंता द्वारा इस हेतु जल्द ही इन दोनों शाखाओं का दौरा किया जायेगा तथा सभी समस्याओं का शाखा के कर्मचारियों से भी चर्चा कर समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जायेगा। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि रायपुर मंडल के राजनांदगांव, धमतरी, ग्वालियर मंडल में भिण्ड, भोपाल मंडल में गंजबासौदा, सतना मंडल में रीवा, बिलासपुर मंडल में भाटापारा, नैला आदि स्थानों पर भी जमीन क्रय करने पहल जारी है। कुछ स्थानों में इस हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की जमीन क्रय समिति का दौरा भी निर्धारित किया है। प्रबंधन ने सतना एवं शहडोल मंडलों के नवीन भवन की समस्याओं का परीक्षण कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। प्रबंधन ने सूचित किया कि मंडलों में खाली स्टॉफ क्वार्टर के उपयोग के बारे में भी विचार हुआ है कि इनका उपयोग एलआईसी, एच.एफ.सी., एलआईसी एमएफ के लिए उपयोगिता के बारे में भी विचार किया जा सकता है ताकि उसका उचित रख-रखाव होता रहे।

मंडल से प्रस्ताव आने पर बीना शाखा की शिफिटिंग पर भी निर्णय लिया जायेगा। चर्चा में सीजेडआईईए के सतत संघर्ष व प्रयत्नों के बाद सतना एवं शहडोल में स्वयं के मंडल कार्यालय भवन के विधिवत उद्घाटन पर प्रसन्नता जाहिर की गई। सीजेडआईईए द्वारा इन मंडलों में फर्नीचर की गुणवत्ता के सवाल पर प्रबंधन ने स्वीकार किया कि करोना के चलते नियमित सेनेटाईजेशन के कारण फर्नीचर एवं कुछ कम्प्यूटर उपकरणों में खराबी आई है। प्रबंधन ने सतना एवं शहडोल मंडलों के नवीन भवन की समस्याओं का परीक्षण कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रबंधन ने सूचित किया कि मंडलों में खाली स्टॉफ क्वार्टर के उपयोग के बारे में भी विचार किया जा रहा है कि इनका उपयोग एलआईसी एच.एफ.एल., एलआईसी एमएफ

आदि के लिए उपयोगिता के बारे में भी विचार किया जा सकता है ताकि उसका उचित रख-रखाव होता रहे।

2. कर्मचारी आवास एवं निर्माण -

सीजेडआईईए ने मांग की कि -

रायपुर : दंतेवाड़ा में शाखा भवन निर्माण के साथ ही कर्मचारी-अधिकारी आवासगृह का निर्माण भी किया जाये। भिलाई व दल्ली राजहरा के आवासगृहों की बाह्य पुताई तो की गई लेकिन आंतरिक भाग की पुताई का कार्य नहीं किया गया है जो कि लंबे समय से लंबित है। इसे अतिशीघ्र करवाया जाये।

भोपाल : शाखा कार्यालय, पाथाखेड़ा के कर्मचारी आवासगृह की समस्याओं का पिछली चर्चा के बाद कुछ सुधार हुआ है किंतु दरवाजे-खिड़की आदि जो पूरी तरह गल गये हैं, दुरुस्त नहीं किए गए हैं इसका शीघ्र समाधान किया जाये।

प्रबंधन ने सूचित किया कि रायपुर मंडल के भिलाई स्थित क्वार्टर की पुताई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। पाथाखेड़ा की समस्या का भी परीक्षण किया जाएगा। रायपुर मंडल के अंतर्गत दंतेवाड़ा शाखा की जमीन का विवाद शीघ्र निपटारे का प्रयास जारी है और कार्यालय भवन निर्माण के साथ साथ कर्मचारी आवास का भी प्रावधान रखा गया है।

3. निरीक्षण एवं अतिथिगृह की समस्या -

सीजेडआईईए ने इस मामले में निम्न मांग की -

सतना : टीकमगढ़ के अतिथिगृह का विस्तार किया जाये। निवाड़ी शाखा में निरीक्षण कक्ष उपलब्ध कराया जाये तथा मैहर के अतिथिगृह को और सुविधायुक्त बनाया जाये।

भोपाल : भोपाल में इमामी गेस्ट हाऊस को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कनिष्ठ गेस्ट हाऊस को पूर्ण सुविधायुक्त बनाकर उसे आबंटित करने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए तथा वहाँ गेस्ट हाऊस में बेड की संख्या बढ़ाई जाए इस अतिथिगृह के लिए अलग से केयर टेकर नियुक्त किया जाए तथा सभी अतिथिगृह का अद्यतन नियमित रूप से किया जाये। सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल में अतिथिगृह की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

रायपुर : दंतेवाड़ा शाखा में पुराने भवन में निरीक्षण की व्यवस्था थी किंतु नये भवन में अनुपलब्ध है। उस भवन में स्थान भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि यह शाखा रायपुर मंडल की सबसे दूरस्थ शाखा आदिवासी अंचल में स्थित है अतः नये भवन में भी निरीक्षण कक्ष उपलब्ध कराया जाये।

- प्रबंधन ने यह सूचित किया कि सतना मंडल की मैहर शाखा के अतिथिगृह के बारे में जानकारी प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। भोपाल में कनिष्ठ गेस्ट हाऊस को सुविधायुक्त बनाया गया है जल्द ही इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा, जहां अलग केयर टेकर की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन ने जानकारी दी कि मध्यक्षेत्र की सभी 140 शाखाओं में अतिथिगृह / निरीक्षण गृह निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

4. आधुनिकीकरण एवं उससे संबंधित समस्या -

सीजेडआईईए ने कहा कि

रायपुर- मंडल कार्यालय, समूह बीमा रायपुर, रायपुर शाखा क्रमांक 2 का लंबित आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये। रायपुर शाखा क्रमांक 1 के आधुनिकीकरण हुए 19 वर्ष हो चुके हैं अतः इनका शीघ्र पुनर्आधुनिकीकरण किया जाये। भिलाई-1 के आधुनिकीकरण के बाद बाथरूम में लिकेज की समस्या के चलते छत से पानी टपकता रहता है। इसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। जिसकी शीघ्र मरम्मत करवाई जाए। शाखा भिलाई-1 के एयर कंडीशनर्स की समस्या का समाधान किया जाये।

जबलपुर - शाखा परासिया एवं सागर-1 जो कि स्वयं के भवन में संचालित हैं, जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, की मरम्मत कर शीघ्र आधुनिकीकरण किया जाये। शाखा बालाघाट एवं मंडला का पुनर्आधुनिकीकरण किया जायेज

भोपाल : भोपाल 3 के भवन का तुरंत आधुनिकीकरण किया जाये। दस वर्ष पूर्व आधुनिकीकरण शाखा भेल, विदिशा, भोपाल-2, पिपरिया एवं बरेली शाखा के भवन एवं फर्नीचर्स की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इन शाखाओं का पुनर्आधुनिकीकरण किया जाये। शाखा हरदा, पिपरिया, सीहोर, शाजापुर, ब्यावरा में एयर कंडीशनर्स उपलब्ध करवाया जाये।

सतना : टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो और अमरपाटन शाखाओं में एसी की व्यवस्था की जाये।

बिलासपुर: शाखा कार्यालय नैला का आधुनिकीकरण एसी के साथ अतिशीघ्र किया जाये।

इंदौर : शाखा मंदसौर का पुनर्आधुनिकीकरण किया जाये।

शहडोल : शाखा चिरमिरी एवं शाखा बैठन का आधुनिकीकरण किया जाये। मनेन्द्रगढ़ एवं सीधी शाखा का एसी लंबे समय से खराब है इसे दुरुस्त किया जाए अतः वहां केंद्रीयकृत एसी के बजाए स्प्लिट एसी की व्यवस्था के शहडोल मंडल के प्रस्ताव को स्वीकृत किया

जाए। शाखा बुद्धार में कैश काउंटर में ऐसी की व्यवस्था की जाए। बैठन शाखा के भवन की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र किया जाये।

सीजेडआईईए ने साथ ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी आधुनिकीकृत शाखाओं के पुनर्आधुनिकीकरण किये जाने की भी मांग की।

- प्रबंधन ने सूचित किया कि 15 वर्षों से ज्यादा हो चुके आधुनिकीकृत शाखाओं के पुनर्आधुनिकीकरण नीतिगत रूप से निर्णय लेना होगा। इसका विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। भिलाई-

1 में सीपेज की समस्या जल्द ठीक करने का उन्होंने आश्वासन दिया। प्रबंधन की ओर से यह बताया गया कि गेस्ट हाऊस के अद्यतन तथा शाखाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर एजेण्डा में शामिल करने कहा गया है ताकि इस पर जल्द से जल्द आगे बढ़ा जा सके। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि बिलासपुर मंडल कार्यालय के सामने प्लाट के बारे में यदि सही जानकारी प्राप्त हो जाये तो हम उस प्लाट को खरीदने के लिए तैयार हैं।

5. मेडिक्लेम की समस्या -

सीजेडआईईए की ओर से अवगत कराया गया कि रायपुर छग राज्य की राजधानी होने के कारण रायपुर सीसीए हेतु 'बी' श्रेणी की पात्रता रखता है। लेकिन मेडिक्लेम दावा भुगतान के समय इसे 'सी' श्रेणी में रखा गया है जिससे निजी अस्पतालों में रूम किराये का अधिक भुगतान करने के बावजूद 'सी' श्रेणी में होने के कारण टीपीए 'सी' श्रेणी के आधार पर ही रूम किराये का भुगतान करता है और बाकी राशि काट लेता है। अतः रायपुर को मेडिक्लेम दावा भुगतान हेतु भी 'बी' श्रेणी में रखा जाये। सीजेडआईईए ने साथ ही अवगत कराया कि मेडिक्लेम के अंतिम दावा भुगतान में कोविड के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा बिल में सरचार्ज जोड़कर बिल बनाया गया है। उक्त सरचार्ज का टीपीए द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ होता है। इन मुद्दों के समाधान हेतु टीपीए व न्यू इंडिया के साथ पहल की जाए।

- प्रबंधन ने इसका परीक्षण कर टीपीए के साथ इस मामले में सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया।

6. लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण -

सीजेडआईईए ने विभिन्न मंडलों में इस विषय पर लंबित प्रकरणों की जानकारी देते हुए उनके निदान की मांग की। इन मामलों में दिवंगत दशरथी बघेल, स्थाई अंकशकालिक कर्मचारी, जगदलपुर, रायपुर मंडल, शहडोल मंडल के शाखा ब्यौहारी के

दिवंगत लोकेश नट, उच्च श्रेणी सहायक, दिवंगत राज बहोर सिंग, स्थाई अंशकालिक कर्मचारी शाखा कोतमा, दिवंगत गोपाल साहू, स्थाई अंशकालिक कर्मचारी, मुंगेली, बिलासपुर मंडल, दिवंगत भूरसिंह भावर, दिवंगत श्यामलाल नागर, अंशकालिक सफाई कर्मी, इंदौर मंडल शामिल हैं।

- प्रबंधन ने इन सभी का परीक्षण कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

7. एमबीए -

सीजेडआईईए ने सतना मंडल के लंबित एमबीए भत्ता के मामले में केंद्रीय प्रबंधन के स्तर पर हुई पहल तथा क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय की सकारात्मक पहल की रोशनी में इसके शीघ्र समाधान का आग्रह किया। सीजेडआईईए ने साथ ही संदीप राजपूत, छिंदवाड़ा, श्रीमती प्रीति गांधी, जिला शाखा, जबलपुर, श्री प्रबोध टोप्पो, शहडोल के एमबीए भत्तों के लंबित भत्तों के शीघ्र निदान की मांग की।

- प्रबंधन ने सतना के एमबीए के मामले में केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर पुनः पहल का आश्वासन दिया है।

8. विजिलेंस संबंधी समस्याएं -

इस मुद्दे पर सीजेडआईईए ने कहा कि हमें खुशी है कि क्षेत्रीय प्रबंधन की निरंतर पहल से इस अवधि में अनेक प्रकरणों में निर्णय लिये गये हैं। हालांकि अभी भी कुछ प्रकरण समाधान के लिए लंबित हैं। हमारा आग्रह है कि एक निश्चित समयावधि में इनका भी निराकरण किया जाये। कुछ प्रकरणों में विजिलेंस विभाग द्वारा जांच के तथ्यों को नजरअंदाज कर संबंधित कर्मचारियों के दोष के स्वरूप के विरीत आनुपातिक रूप से उसके दीर्घकालिक हितलाभों पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ भारी-भरकम सजा दी गई है। सीजेडआईईए ने कहा कि हमारा आग्रह है कि ऐसे प्रकरणों में उनकी अपील पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाए। यह भी संज्ञान में आया कि विजिलेंस विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन के तथ्य के विपरीत सजा के स्वरूप के संबंध में भी सक्षम प्राधिकारों को सीधे निर्देशित किया जाता है। इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए।

- प्रबंधन ने इस मामले में उनके द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों की विस्तृत जानकारी देते हुए अन्य प्रकरणों में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया।

9. अन्य मुद्दे -

सीजेडआईईए की ओर से उपरोक्त विषयों के अलावा निम्न विषयों पर भी चर्चा की गई-

- सीजेडआईईए ने विकास अधिकारी से तृतीय श्रेणी कर्मचारी में पुनर्नियुक्ति रायपुर मंडल के श्री संदीप वर्मा, श्री श्याम बिहारी मिश्रा, श्री सुलेमान लकरा, श्री अनूप इंदुरकर एवं श्री जतिन दुबे तथा इंदौर मंडल के श्री आनंद शुक्ला, श्री प्रकाश आर्य और श्री प्रतापसिंह चौहान के स्नातक वेतनवृद्धि की स्वीकृति की मांग की।
- प्रबंधन ने सूचित किया कि पुनर्नियुक्ति हेतु नये संशोधनों के तहत यह यह नहीं दी जा सकती है।
- सीजेडआईईए ने भोपाल में नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु वर्तमान अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों को सूचीबद्ध किये जाने की मांग की। इस संबंध में पिछली चर्चा के बाद हमें जानकारी मिली है कि क्षेत्रीय प्रबंधन की ओर से एक समिति का निर्माण भी किया गया है। अतः इस संबंध में शीघ्र पहल की जाए।
- प्रबंधन ने सूचित किया कि इस हेतु कमेटी को पुनर्गठित किया गया है तथा जल्द ही नये अस्पताल भी इसमें जोड़े जाएंगे।
- सीजेडआईईए ने सूचित किया कि मध्यक्षेत्र की अधिकतम शाखाओं में नेटवर्क स्पीड की गंभीर समस्या है जिसके चलते बीमाधारकों, अभिकर्ताओं तथा कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे यथाशीघ्र दुरुस्त किया जाये।
- प्रबंधन ने सूचित किया कि इस पर उचित कदम उठाए गए हैं तथा बीएसएनएल तथा एयरटेल दोनों ही लाईन उपलब्ध कराये गये हैं इससे यह समस्या बहुत हद तक सुधर गई है।
- सीजेडआईईए ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्ष 4 घंटे की नोटिस पर कोरोना महामारी के दौरान की गई तालाबंदी के चलते मजबूरी में मुख्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों को उक्त अवधि का वर्क फ्रॉम होम के रूप में स्वीकृति देकर, उनके वेतन/अवकाश में की गई कटौती को मानवीय आधार पर वापस किया जाये। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार तथा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- प्रबंधन ने सूचित किया कि इस पर केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही उपर्युक्त निर्ण लिया जा सकता है।
- सीजेडआईईए ने मांग की कि वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान मध्य क्षेत्र में उससे वंचित किए गए अस्थायी कर्मचारियों
- के संबंध में माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस हेतु 3 माह की समय सीमा निर्धारित की है।
- प्रबंधन ने सूचित किया कि इस मामले को केंद्रीय कार्यालय प्रेषित किया गया है।
- सीजेडआईईए ने शहडोल मंडल के श्री रमेश केवट, चिरमिरी शाखा के नवनियुक्त सहायक श्री गौरव मिश्रा एवं श्री विवेक शर्मा तथा सतना मंडल के श्री सोमेश त्रिपाठी के कान्करेंसिया माड्यूल में समस्या के कारण जिन दिनों का मील कूपन प्राप्त नहीं हुआ उसे स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग की। मंडल कार्यालय ने सूचित किया है कि यह विषय क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित है।
- प्रबंधन ने इसका परीक्षण कर इसके शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया।
- सीजेडआईईए ने भोपाल मंडल की शाजापुर शाखा के दृष्टिबाधित कर्मचारी श्री रघुनंदन खींची को, ऐसे कर्मचारियों के लिए निर्धारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
- प्रबंधन ने अवलोकन कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
- सीजेडआईईए ने ईडीएमएस में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इंट्रानेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग की।
- प्रबंधन ने इस पर भी विचार का आश्वासन दिया।
- सीजेडआईईए ने भोपाल मंडल में भी सिविल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पदस्थापना की मांग की।
- प्रबंधन ने इस पर भी विचार का आश्वासन दिया।
- सीजेडआईईए ने नवनियुक्त सहायकों के वैवाहिक आधार पर तथा आपसी सहमति के स्थानांतरण स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया।
- प्रबंधन ने इस पर सकारात्मक रूप से विचार का आश्वासन दिया।
- सीजेडआईईए ने कहा कि हमें खुशी है कि सहायकों की लंबित प्रतीक्षा सूची से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई किंतु इस प्रक्रिया में रिक्तियों की उपलब्धता के बावजूद सभी संवर्गों की प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया अतः प्रतीक्षा सूची में

- उपलब्ध सभी उम्मीदवारों को निगम में सेवा का अवसर प्रदान किया जाये तथा जो लोग अन्य संस्थान में कार्यरत हैं और निगम की सेवा में आना चाहते हैं उन्हें ज्वाइन करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये।
- प्रबंधन ने अन्य संस्थान छोड़कर निगम की सेवा में आने के इच्छुक नवनियुक्त सहायकों को इसके लिए समय उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
 - सीजेडआईईए ने कहा कि कान्करेंसिया मॉड्यूल में 15 सितंबर 2021 से लॉग आफ प्रारंभ किया गया है किंतु लॉग ऑफ के समय लॉग ऑफ के समय भी कम्प्यूटर में समय दिखे, इस हेतु उसे अद्यतन किया जाये।
 - प्रबंधन ने इस पर केंद्रीय कार्यालय में पहल का आश्वासन दिया।
 - सीजेडआईईए ने ग्वालियर मंडल के दिवंगत चौकीदार दुसासन सिंह कुशवाहा के पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में आयु में शिथिलता के उनके आवेदन पर मानवीय दृष्टिकोण से सकारात्मक निर्णय का आग्रह किया।
 - प्रबंधन ने सूचित किया कि यह निर्णय केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। इस हेतु वहां पहल की जाएगी।
 - सीजेडआईईए ने कहा कि 1 अप्रैल 2010 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों हेतु डीसीपीए योजना प्रभावशील है। ऐसे सभी कर्मचारियों का अंशादाने सितंबर 2021 से एनपीएस योजना में अनिवार्य रूप से जमा किया जा रहा है, किंतु 1 अप्रैल 2010 से लेकर इस अवधि तक उनके अंशादान का विवरण तथा इस मध्य कुछ मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन सभी कर्मचारियों के परिजनों को नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जाये।
 - प्रबंधन ने सूचित किया कि डीसीपीएस योजना के सदस्यों का अब एनपीएस में पंजीयन हो चुका है। ऐसे कर्मचारियों को उनके अंशादान के वितरण की जानकारी पूर्व में पीएण्डजीएस विभाग द्वारा दी गई है। सीजेडआईईए के आग्रह पर सभी मंडलों को पुनः यह प्रेषित कर दी जाएगी। इसमें वे अपना विवरण भेज सकते हैं। डीसीपीएस ने मृत कर्मचारियों के भुगतान का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।
 - सीजेडआईई ने बिलासपुर मंडल में पीएण्डजीएस इकाई की स्थापना की मांग की।
 - प्रबंधन ने सूचित किया कि यह विषय केंद्रीय कार्यालय का क्षेत्राधिकार है।
 - सीजेडआईईए ने इंदौर मंडल के श्री बी.एस. सेनानी का अंतिम भुगतान तथा एरियर्स राशि का शीघ्र भुगतान किये जाने का आग्रह किया।
 - प्रबंधन ने इसका परीक्षण कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
 - सीजेडआईईए ने चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की मांग की। सीजेडआईईए ने साथ ही निगम में काम कर रहे अस्थाई व हमाल आदि के रूप में कार्य कर रहे अन्य कर्मियों को समान काम समान वेतन तथा सरकार द्वारा घोषित सामाजिक सुविधाओं का लाभ दिये जाने की मांग की।
 - प्रबंधन ने सूचित किया कि चतुर्थ श्रेणी में भर्ती का विषय केंद्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है। अन्य मामलों में सीजेडआईईए द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।
 - सीजेडआईईए की ओर से इसके अलावा विजिलेंस के कुछ लंबित व्यक्तिगत प्रकरणों तथा मृत डीसीपीएस योजना के कर्मचारियों के अंतिम भुगतान के मामलों में भी अलग से चर्चा की।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव